रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275238
SG-DL-E-06082026-275238

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 150
No. 220]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948	[N. C. T. D. No. 150

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

फा0सं0 16 (486)/शह0विका0/डब्ल्यू/2025/पार्ट फाइल/021352785/588.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 04.11.2015 की अधिसूचना संख्या 16(486)/शह0वि0/डब्ल्यू/2015/1229–30 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में 'सफ़ाई निरीक्षक ग्रेड–I' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड सफ़ाई निरीक्षक ग्रेड– I भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।

   (II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह का अनुबंध किया है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **उपबंध शिथिल करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमनों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

1.	**पदनाम**	:	सफ़ाई निरीक्षक ग्रेड– I
2.	**पदों की संख्या**	:	08* (2025) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**पद का वर्गीकरण**	:	समूह–'ख'
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (44900–142400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित

	वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (35400–112400/–रुपये) में सफ़ाई निरीक्षक तथा उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड संस्थान में सफ़ाई से संबंधित मामलों में पाँच दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टीप–1** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :–** केन्द्र/ राज्य सरकार/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यता–प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध–सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष ; तथा (ख) नियमित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले : (i) किसी मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से न्यूनतम एक वर्ष का सफ़ाई निरीक्षक का डिप्लोमा। (iii) नगर निकायों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग से सीवेज निपटान के क्षेत्र में सफ़ाई निरीक्षक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव। **टीप–2** :– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम

			आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) :** 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)– अध्यक्ष 2. राजस्व निदेशक – सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता (सिविल) – सदस्य 4. सहायक आयुक्त (जी–I) – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत कुमार पटेल, अतिरिक्त सचिव (शह0 विका0)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2026

No. F. 16(486)/UD/W/2025/Pt. File/021352785/588.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in Delhi Administration Notification No. 16 (486) /UD/W/ 2015/1229-30 dated 04-11-2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector Grade-I in the Delhi Water Board, are hereby published, namely: -

1. **Short title and commencement: -** (I) These regulations may be called the Delhi Water Board 'Sanitary Inspector Grade-I" Recruitment Regulations, 2025.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix**: The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications: -** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: ─** No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions**: - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be

recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**: - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post.	SANITARY INSPECTOR GRADE-I
2.	Number of posts.	08* (2025) subject to variation dependent on work load.
3.	Classification	Category 'B'
4.	Pay band & grade pay/ pay scale	Level-7 in the pay matrix (rs.44900 - 142400).
5	Whether selection or non-Selection post.	Selection
6.	Age limit for direct recruits.	Not applicable
7.	Educational & other qualification required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation including short --term contract
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	**Promotion: -**Sanitary Inspector in level -6 (Rs. 35400- Rs. 112400/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have under gone five days training in 'the matters relating to sanitation in the Delhi Jal Board Institute. **Note 1:-** where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

		Deputation (including short term contract): Officials of the Central/ State Govt./ MCD/ Delhi Jal Board/ UT Administrations/ PSUs/ Universities/recognized research institutions/Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations: a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and b) possessing the following educational qualification and experience: (i) 12^{th} pass from a recognized university/ board; ii) minimum one-year sanitary inspector's diploma from a recognized university/board.; iii) three years' experience as sanitary inspector in the field of sewage disposal from health and sanitation department of municipal bodies. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation (istc) including period of deputation (istc) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. the maximum age limit for appointment by depuration (istc) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION): I. DIRECTOR (ADMIN & PERSONAL): - CHAIRMAN 2. DIRECTOR OF REVENUE: - MEMBER 3. SUPERINTENDING ENGINEER (CIVIL) - MEMBER 4. ASSISTANT COMMISSIONER (G-I) - MEMBER
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy., UD

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.06 16:52:40 +05'30'